-25

अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता उभयपक्ष द्वारा बहस समाहित की जा चुकी है। अधिवक्ता प्रार्थी/प्रतिवादी द्वारा प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किए गये कि उक्त अनुवान का वाद वादीगण द्वारा वाके चक 10 जैड तहसील श्रीगंगानगर के खाता संख्या 10/89 की 10.614 हैक्टेयर कृषि भूमि में से 5.307 हैक्टेयर कृषि भूमि का धारा 88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रेषित किया है जिसमें तारीख पेशी दिनांक 14.05.2025 को वास्ते प्रतिवादीगण के जवाब दावा हेतु मुकर्र है। प्रश्नगत कृषि भूमि का वाद पूर्व में इन्हीं पक्षकारों के मध्य बअनुवानी केसरीचन्द बनाम साधु सिंह, वाद संख्या 75/2004 पेश किया गया था। डिक्री/निर्णय दिनांक 05.11.2018 को किया गया। उक्त आदेश के विरूद्ध माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर के समक्ष सुखवीर सिंह बनाम केसरीचन्द अपील संख्या/2018 जेरकार है जिसमें माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा भी जारी है। आयंदा तारीख पवेशी 16.06.2025 मुकर्र है। वर्तमान वादीगण अपील में हाजिर आकर समुचित पैंरवीं कर रहे हैं। अप्रार्थी/वादीगण ने तथ्य को छुपाते हुए यह दावा पेश किया है, जो कि व्यवहार संहिता के प्रावधानों के अनुसार स्थगित किया जाना न्यायोचित होगा। वाद के समस्त पक्षकारों के मध्य सक्षम न्यायालय द्वारा समान वाद की विषयवस्तु का पूर्व में निर्णय हो चुका है एवम् वर्तमान में सक्षम अधिकारी के समक्ष जैरकार है। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि वर्तमान वाद की कार्यवाही को अपील के निपटारे तक स्थगित की जावे। अधिवक्ता प्रार्थी/प्रतिवादी द्वारा न्यायिक दृष्टान्त–2022-23 (Supp.) RRT 92, [Citation- 2022(3) CJ (Civ.) (Raj.) 2036] की प्रमाणित प्रति पेश की।

अप्रार्थी/वादी द्वारा जवाब बहस में कथन किए गये कि आदेश दिनांक 13.08.2007 को अर्सा अवधि उपरान्त चुनौती देने के आधार पर हस्तगत वाद में धारा 10 सी.पी.सी. के तहत आवेदन प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है एवं ना हीं ऐसे तथ्य धारा 10 सी.पी.सी. का आधार हो सकते हैं। वाद हाजा पर प्रार्थी/प्रतिवादी की ओर से इस मद में वर्णित तथ्यों के आधार पर धारा 10 सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधान लागू नहीं होते है एवं ना ही प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 3 की ओर से प्रस्तुत की गयी किसी भी कार्यवाही के अधीन वर्तमान वाद हाजा की कार्यवाही को स्थगित ही किया जा सकता है। वर्णित बिन्दु तथ्यों एवं विधि का समाश्रित प्रश्न है जिनका निस्तारण बाद जवाब दावा एवं साक्ष्य ही किया जा सकता है जो प्रतिवादी के द्वारा आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः आवेदन पत्र निरस्त किये जाने एवं जवाबदेही बन्द किये जाने योग्य है। लिहाजा प्रार्थना पत्र प्रतिवादी संख्या 3 निरस्त फरमाया जाकर जवाब बन्द किया जावे।

उभयपक्ष की बहस पर मनन [illegible] प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का ससम्मान अध्ययन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तु[illegible] का अवलोकन किया गया। आदेश 1[illegible] के [illegible] कोई *न्यायालय ऐसे किसी भी वाद के [illegible] विवाद्य [illegible] के अधीन मुकदमा करने वाले किन्ही [illegible] पक्षकारों के*

Signature Not Verified
Digitally signed by Nayan Gautam
Date: 2025.11.20 17:37:11 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

बीच के, जिनसे व्युत्पन्न अधिकार के अधीन वे या उनमे से कोई दावा करते हैं किसी पूर्वतन संस्थित वाद में भी प्रत्यक्षतः और सारतः विवाद्य है, आगे कार्यवाही नहीं करेगा जहां ऐसा वाद उसी न्यायालय में या (भारत) की सीमाओं के परे वाले किसी ऐसे न्यायालय में, जो दावा किया गया अनुतोष देने की अधिकारिता रखता है या (भारत) की सीमाओं के परे वाले किसी ऐसे न्यायालय में, जो (केन्द्रीय सरकार) द्वारा स्थापित किया गया है या चालू रखा गया है और वैसी ही अधिकारिता रखता है, या (उच्चतम न्यायालय) के समक्ष लम्बित है''

वाद हाजा एवं पत्रावली पर प्रस्तुत अपील अन्तर्गत धारा 223 राज. काश्तकारी अधिनियम की प्रमाणित प्रति एवं प्रमाणित प्रति नकील फर्दअहकाम के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि दोनो वाद में वादगत सम्पत्ति एवं पक्षकार समान है। इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 05.11.2018 को न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर में चुनौती दी जा चुकी है, उक्त अपील वर्तमान में विचाराधीन है, जिनकी प्रमाणित प्रति पत्रावली पर प्रस्तुत है। इस स्थिति में इस न्यायालय में आगामी कार्यवाही किये जाने की स्थिति में दोनों न्यायालयों के निर्णिय में विरोधाभाषी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। अधिवक्ता प्रार्थी/प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त– [Citation- 2022(3) CJ (Civ.) (Raj.) 2036] इस प्रकरण पर चस्पा होता हैं। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 10 सी.पी.सी. स्वीकार किया जाकर हस्तगत वाद की कार्यवाही स्थगित की जाती है।

आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली दायरा नम्बर से कम होकर दाखिल अभिलेखागार रहे।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Nayan Gautam
Date: 2025.11.20 17:37:11 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner